

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Rule 17 : Assignment of Unique Identity Number to certain special entities**

- (1) Every person required to be granted a Unique Identity Number in accordance with the provisions of sub-section (9) of section 25 may submit an application electronically in **FORM GST REG-13**, duly signed or verified through electronic verification code, in the manner specified in rule 8 at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- <sup>1</sup>[(1A) The Unique Identity Number granted under sub-rule (1) to a person under clause (a) of sub-section (9) of section 25 shall be applicable to the territory of India.]
- (2) The proper officer may, upon submission of an application in **FORM GST REG-13** or after filling up the said form <sup>2</sup>[or after receiving a recommendation from the Ministry of External Affairs, Government of India], assign a Unique Identity Number to the said person and issue a certificate in **FORM GST REG-06** within a period of three working days from the date of submission of the application.
- 

---

1 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 75/2017–Central Tax, dt. 29-12-2017 w.e.f. 29-12-2017.

2 Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 22-06-2017.

**नियम 17 : कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन**

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है **जीएसटी आरईजी-13 प्ररूप** में इलैक्ट्रॉनिक रूप में, सामान्य पोर्टल पर, या तो सीधे या बोर्ड आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से, नियम 8 में निर्दिष्ट रीति में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

<sup>1</sup>[(1क) धारा 25 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को उपनियम (1) के अधीन दिया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक भारत के राज्यक्षेत्र में लागू होगा।]

(2) उचित अधिकारी, **जीएसटी आरईजी-13 प्ररूप** में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप <sup>2</sup>[या भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात्] भरे जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर **जीएसटी आरईजी-06** में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 75/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपनियम (1क) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.12.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 22/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2018 द्वारा उपनियम (1क) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।